रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12, 2011/कार्तिक 21, 1933
No. 613] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12, 2011/KARTIKA 21, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 806(अ) :– केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, वायु स्कंध अधिकारी (समूह 'क' और 'ख') भर्ती नियम, 1999 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय (एयर विंग) में समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, एयर विंग आफिसर (समूह 'क' योधक पद) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** :– ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** :– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** :– उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **अधिवर्षिता** .– कमाण्डेंट के रैंक से उच्च स्तर के आफिसर उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे और अन्य रैंक के आफिसर उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे :

परन्तु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, यथास्थिति साठ वर्ष या सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा ।

6. **ज्येष्ठता** .– (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर इस विषय पर जारी साधारण आदेशों के अनुसार इस केडर की विभिन्न श्रेणियों या ग्रेडों में पदों पर नियुक्त अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी।

(2) परस्पर ज्येष्ठता निर्धारित करते समय, उप–नियम (1) के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात :–

(i) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वे आफिसर जो उप कमाण्डेंट और सहायक कमाण्डेंट (पायलट) के स्तर पर इन भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख को सीमा सुरक्षा बल, एयर विंग में संलग्नता पर हैं, आमेलन पर विचार किया जाएगा और उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केन्द्रीय पुलिस संगठन परीक्षा में अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के अनुसार भर्ती के वर्ष के आधार पर तथा बुनियादी व्यावसायिक प्रशिक्षणों पर विनिश्चित की जाएगी।

(ii) विभाग द्वारा अपेक्षित प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के बाद चालू वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता रखने अथवा दक्षता प्राप्त करने में असफल किसी भी आफिसर के लिए उक्त अवधि पद के लिए शेष अवधि के लिए शामिल नहीं की जाएगी।

7. **निरर्हताएं .– वह व्यक्ति–**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता** .– इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I, में हैं तथा जिनके पास उड्डयन योग्यता और उड्डयन संबंधी स्वस्थता प्रमाण पत्र है, स्तंभ (1) में निर्धारित पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

परन्तु, उड्डयन शाखा में प्रवेश के लिए चिकित्सीय परीक्षा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नामनिर्देशित अथवा अनुमोदित चिकित्सा केन्द्रों पर की जाएगी।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए शेप–1 से नीचे परिभाषित चिकित्सा श्रेणी अभिप्रेत हैं :–

(i) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिकारी का यथानिर्धारित मानकों के तहत किया गया और कूट अक्षरों शेप द्वारा इंगित चिकित्सा वर्गीकरण निम्नलिखित को दर्शाता है:–

एस – मनोवैज्ञानिक
एच – श्रवण शक्ति
ए – उपांग
पी – शारीरिक क्षमता
ई – दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी। कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी– I में हैं वहां उसका प्रवर्ग एस1 एच1ए1पी1ई1 लिखने के बजाए शेप–1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा । इन अंकों का सामान्य मूल्यांकन निम्नानुसार है:–

(1) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(2) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखों को श्रवण शक्ति या दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।